दिनाक 18.10.2020
प्रेस विज्ञप्ति–18 / 20

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

उ0प्र0 पुलिस द्वारा पुलिस स्मृति दिवस–2020 के अवसर पर श्रद्धांजलि समारोह 21 अक्टूबर को

कर्तव्यपालन के दौरान संवेदनशीलता, समर्पण और त्याग का अप्रतिम उदाहरण प्रस्तुत करने वाले शहीद पुलिस कार्मिकों की स्मृति में प्रतिवर्ष 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन हम उन वीर शहीद पुलिसजनों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जिन्होंने राष्ट्र व समाज की रक्षा में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए प्राणों की आहुति दी है।

यह शौर्य गाथा 61 वर्ष पुरानी है जब 21 अक्टूबर 1959 को भारत की उत्तरी सीमा लद्दाख के हिमाच्छादित जनहीन क्षेत्र में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के 10 जवान नियमित गश्त पर निकले थे। स्वचालित रायफलों व मोर्टारों से लैस चीनी सैनिकों ने छलपूर्वक हमारे क्षेत्र में एम्बुश लगाकर अचानक उन पर हमला कर दिया। अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिये साधारण शस्त्रों के बावजूद चीनी सैनिकों का डटकर मुकाबला करते हुए केन्द्रीय पुलिस बल के इन बहादुर जवानों ने अपने प्राणों की आहुतियॉ दी थी। इन्हीं वीर जवानों के बलिदान को याद करते हुए कर्तव्यपथ पर प्राणोत्सर्ग करने वाले जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु पुलिस स्मृति दिवस मनाने की परम्परा प्रचलित है।

हमारे पुलिस कर्मियों का बलिदान उनकी सच्ची समर्पण भावना एवं कर्तव्य–परायणता का द्योतक है तथा कर्तव्यनिष्ठा एवं जनसेवा के प्रति उनकी संकल्पबद्धता को प्रतिबिम्बित करता है। वीर पुलिस कर्मियों का त्याग एवं बलिदान देशभक्ति का अद्वितीय उदाहरण बनकर हमारी भावी पीढ़ी को सदैव कर्तव्य–परायणता के मार्ग पर निर्भीकता के साथ अनुगमन की प्रेरणा देता रहेगा।

पुलिस स्मृति दिवस का आयोजन 21 अक्टूबर को पुलिस लाइन लखनऊ में किया जायेगा।

जनपद बलिया/थाना कोतवाली

- **50—50 हजार रू0 के 02 पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार,**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर, 04 जीवित कारतूस बरामद।**

दिनांक 18.10.2020 को थाना कोतवाली व जी0 आर0 पी0 बलिया की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बैशाली तिराहा बलिया से घेराबन्दी कर 02 पुरस्कार घोषित अभियुक्त 1—सन्तोष कुमार, 2—अमरजीत को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 02 अवैध तमंचा 315 बोर, 04 जीवित कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त दिनॉक 15.10.2020 को थाना रेवती क्षेत्रान्तर्गत घटित घटना के सम्बन्ध में थाना रेवती पर पंजीकृत मु0अ0सं0—373/2020 धारा 147/148/149/302/323/352/504/506 भादवि व 7 सीएलए एक्ट में अभियुक्त वांछित चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी हेतु परिक्षेत्रीय स्तर से 50—50 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित था।

इस संबंध में थाना कोतवाली पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—सन्तोष कुमार निवासी हनुमानगंज, थाना बैरिया जनपद बलिया।

2—अमरजीत निवासी हनुमानगंज, थाना बैरिया जनपद बलिया।

बरामदगी

02 अवैध तमंचा 315 बोर, 04 जीवित कारतूस।

एसटीएफःथाना रेवती, जनपद बलिया में दिन दहाड़े हुए हत्याकाण्ड में पंजीकृत मु0अ0सं0 273/2020 में वांछित व रू0 50,000/— का पुरस्कार घोषित कुख्यात अपराधी धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ डब्बू सिंह गिरफ्तार।

आज दिनांक 18—10—2020 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को जनपद बलिया में दिनांक 15—10—2020 को गाँव के कोटे को आवंटन को लेकर दिन दहाड़े हुए हत्याकाण्ड में पंजीकृत मु0अ0सं0 273/2020 धारा 147/148/149/302/323/504/506 भादवि व 7 सीएलए एक्ट में वाँछित व रू0 50,000/—के पुरस्कार घोषित कुख्यात अपराधी धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ डब्बू सिंह को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः—

धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ डब्बू सिंह पुत्र वीरेन्द्र प्रताप सिंह निवासी दुर्जनपुर, थाना रेवती, जनपद बलिया।

बरामदगीः—

01—रू0 1000/— नगद
02—आधार कार्ड एक अदद।

गिरफ्तारी का स्थान व दिनांकः—

सहारा ट्रेड सेण्टर के सामने, पालीटेक्निक चौराहे के पास, थाना गाजीपुर, लखनऊ। दिनांक 18—10—2020 समय 11:40 AM

एस0टी0एफ0 उ0प्र0 को विगत काफी दिनों से कुख्यात फरार/पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय होकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिये जाने की सूचनायें प्राप्त हो रहीं थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। इसी क्रम में एसटीएफ मुख्यालय, लखनऊ द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

उक्त के क्रम में निरीक्षक श्री प्रमोद कुमार वर्मा के नेतृत्व में उपनिरीक्षक श्री सत्य प्रकाश सिंह, आरक्षी राजीव सिंह, आरक्षी सुनील राय की एक टीम धरातलीय अभिसूचना संकलन हेतु सक्रिय थी कि आज दिनांक 18—10—2020 को विश्वस्त सूत्रों के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि दिनांक 15—10—2020 को थाना रेवती जनपद बलिया में गाँव में राशन के कोटे को लेकर दिन दहाड़े हुई हत्या में थाना रेवती, जनपद बलिया में पंजीकृत मु0अ0सं0 273/2020 धारा 147/148/149/302/323/504/506 भादवि व 7 सीएलए एक्ट में वांछित धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ डब्बू सिंह, जिसपर रू0 50,000/— का पुरस्कार घोषित है, वह आज पालीटेक्निक चौराहे के पास किसी साथी से मिलने के लिये आया है और खड़ा है, यदि शीघ्रता की जाये तो पकड़ा जा सकता है। इस सूचना पर एस0टी0एफ0 टीम मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान पर पहुंचकर अपराधी धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ डब्बू सिंह को आवश्यक बल प्रयोग कर गिरफ्तार कर लिया, जिससे उपरोक्त बरामदगी हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि दिनांक 15—10—2020 को गाँव में राशन की दुकान को लेकर के 2000 आदमी दोनों पक्षों से इकट्ठा हुए थे। एक पक्ष इनका था तथा दुसरा कृष्ण कुमार यादव व उनके घर के लोगों का था। प्रशासन के लोग भी वहाँ मौजूद थे। कोटे के आवंटन को लेकर पंचायत के सामने कृष्ण कुमार यादव व उनके साथियों के साथ कहा सुनी हो गयी। इसी बीच विपक्षियों द्वारा गोली चला दी गयी, जिसमें उसका भतीजा गोलू सिंह व घर की 5—6 औरते घायल हो गयीं। गोलू सिंह की बाद में मृत्यु हो गयी। जवाब में इन लोगों द्वारा फायर किया गया, जिसमें जय प्रकाश पाल उर्फ गामा पाल जो कृष्ण कुमार यादव का आदमी था, मर गया। इस सम्बन्ध में उसके व उसके भाई नरेन्द्र

प्रताप सिंह, **देवेन्द्र** प्रताप सिंह व उसके साथी संतोष यादव, अमरजीत यादव व उसके रिश्तेदार प्रयाग सिंह, प्रभात सिंह के विरूद्ध थाना रेवती, जनपद बलिया में मु0अ0सं0 273/2020 धारा 147/148/149/302/323/504/506 भादवि व 7 सीएलए एक्ट का पंजीकृत हुआ, जिसमें उसके ऊपर रू0 50,000/– का पुरस्कार घोषित किया गया है। इस मुकदमें में वाँछित नरेन्द्र सिंह, देवेन्द्र सिंह, संतोष यादव व अमरजीत की गिरफ्तारी पूर्व में हो चुकी है। प्रयाग सिंह व प्रभात सिंह के बारे में उसे कुछ पता नही है कि वे कहां है। आज किसी काम से लखनऊ आया था कि आप लोगों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ डब्बू सिंह को थाना गाजीपुर, लखनऊ में इन्द्राज करके अग्रिम विधिक कार्यवाही हेतु जनपद बलिया ले जाया जा रहा है।

एसटीएफःउत्तर प्रदेश के जनपद–औरेया में सनसनीखेज लूटपाट की घटना कारित करने वाले घूमन्तु/छैमार गिरोह के रूपया 25,000/– का इनामी अपराधी जाबिर उर्फ आबिद उर्फ भुउवा उर्फ सलमान उर्फ पासा साहसिक मुठभेड़ में गिरफ्तार

दिनांकः 18–10–2020 को एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश के जनपद–औरेया में सनसनीखेज लूट की घटना कारित करने वाले घूमन्तु/छैमार गिरोह के सक्रिय सदस्य व रूपया 25,000/– के इनामी अपराधी **जाबिर उर्फ जाबिद उर्फ भुउवा उर्फ सलमान उर्फ पासा** को साहसिक पुलिस मुठभेड़ के पश्चात गिरफ्तार करने मे उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः

जाबिर उर्फ भुउवा उर्फ सलमान उर्फ पासा पुत्र कदीम उर्फ फाती उर्फ अरशद अली निवासी रेलवे स्टेशन भोजपुर के सामने, कंजर बस्ती, थाना भोजपुर, मुरादाबाद।

गिरफ्तार अभियुक्त से बरामदगीः–

1:– 01 अदद तमंचा 303 बोर
2:– 01 अदद जिन्दा कारतूस 303 बोर
3– 01 अदद खोखा कारतूस
4– 700/– रूपया नगद।

घटनास्थलः–नकेडी पूलिया के पास से थाना विधूना, जनपद औरेया क्षेत्र दिनांकः18–10–2020 समय –लगभग 06.15 पीएम

एस0टी0एफ0 उ0प्र0 को विगत काफी दिनों से कुख्यात फरार, संगठित एवं घूमन्तु/छैमार समुदाए गैंगों से जुड़े अपराधियों/पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय होकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिये जाने की सूचनायें प्राप्त हो रहीं थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। इसी क्रम में श्री कुलदीप नारायण, पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0, मेरठ के पर्यवेक्षण में एसटीएफ फील्ड इकाई, गौतमबुद्धनगर द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

उल्लेखनीय है कि अभिसूचना संकलन के दौरान दिनांक 18–10–2020 को मुखबिर एवं विश्वसनीय सूत्रों के माध्यम से एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, गौतमबुद्धनगर को सूचना प्राप्त हुई कि थाना बेला, जनपद औरेया पर पंजीकृत मु0अ0स0 352/18 धारा 394/411 भादवि से सम्बन्धित

लूट का अभियुक्त पासा, वमुराठा रोड से नकेडी पूलिया की तरफ कहीं जाने के लिए आ रहा है। इस सूचना को विकसित करने के उपरान्त श्री राकेश कुमार सिंह, उप निरीक्षक, एस0टी0एफ0 गौतमबुद्धनगर के नेतृत्व में उप निरीक्षक श्री धूम सिंह, एस0टी0एफ0 गौतमबुद्धनगर द्वारा थाना बेला, जनपद औरेया की पुलिस को साथ लेकर उपरोक्त स्थान पर पहुॅचकर समय 06.15 बजे से जाबिर उर्फ भुउवा उर्फ सलमान उर्फ पासा को साहसिक मुठभेड़ के पश्चात गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे उपरोक्त बरामदगी हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि उसकी उम्र लगभग 28 साल है और उसको जाबिर उर्फ जाबिद के नाम से भी जाना जाता है। अभियुक्त ने बताया कि वह लोग घुमंतू समुदाए के हैं और जगह–जगह घूम फिर कर अपने साथियों के साथ लूटपाट की घटनाऐं करते हैं। बताया कि उसने अपने गिरोह के साथी फिरोज उर्फ कल्लू पुत्र स्व0 निजामुदीन एवं वसीम पुत्र एहसान तथा वासीम उफ शाहिद पुत्र आदिल निवासीगण भोजपुर, रेलवे स्टेशन के सामने, कंजड़ बस्ती, थाना भोजपुर, जनपद मुरादाबाद के साथ मिलकर वर्ष 2018 में थाना बेला, जनपद औरेया क्षेत्र में सहतर के पास, तरापुर्वा गॉव के निकट, एक घर में घुसकर लोगों के साथ गंभीर रूप से मारपीट करके लूटपाट की घटना की थी, जिसमें उनको काफी रूपया तथा सामान मिला था, जिसको हमने आपस में बॉंट लिया था। यह भी बताया कि उसके साथी फिरोज को थाना बेला, औरेया की पुलिस ने पकड़ लिया था और वह तभी से फरार चल रहा था। अभियुक्त ने पूछताछ पर यह भी बताया कि उनका कोई स्थायी निवास नही है तथा घूमते–फिरते हुए स्थान बदल–बदल कर, डेरा डाल कर रहते हैं तथा जगह को चिन्हित करके लूटपाट की वारदात करके भाग जाते है।

उल्लेखनीय है कि जनपद औरेया के बेला थाने पर पंजीकृत मु0अ0स0ं 352/18 धारा 394/411 भादवि के अभियोग में अभियुक्त जाबिर उर्फ भुउवा उर्फ सलमान उर्फ पासा, उपरोक्त फरार चल रहा था और इसी मुकदमें में इसकी गिरफ्तारी पर पुलिस अधीक्षक, औरया के स्तर से रूपया 25,000/– का पुरस्कार घोषित हो रखा था। गिरफ्तार अभियुक्त जाबिर उर्फ भुउवा उर्फ सलमान उर्फ पासा की अन्य आपराधिक गतिविधियों के सम्बन्ध में भी छानबीन की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त जाबिर उर्फ भुउवा उर्फ सलमान उर्फ पासा, उपरोक्त के विरूद्ध थाना विधूना, जनपद औरेया पर मु0अ0स0ं 494/2020 धारा 307 भादवि एवं मु0अ0सं0 495/2020 धा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत कराया गया है और अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

जनपद गाजियाबाद/थाना इन्दिरापुरम्

- **04 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार,**
- **लगभग 75 लाख रूपये कीमत के 03 लग्जरीकार,**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर, 04 जीवित कारतूस, 04 मोबाइल फोन, आदि बरामद**

दिनांक 18.10.2020 को थाना इन्दिरापुरम् पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना इन्दिरापुरम् क्षेत्र से 04 शातिर अभियुक्तो 1–कामिल उर्फ आमिर 2–मो0 कल्लू उर्फ मोवीन, 3–काला उर्फ आरिफ 4– नसीबो उर्फ नसीबुद्दीन को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 75 लाख रूपये कीमत के चोरी की 02 फॉरचूनर व 01 स्विफ्ट कार 02 अवैध तमंचा 315 बोर, 04 जीवित कारतूस, 04 मोबाइल फोन आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी है,जिनके विरूद्ध जनपद गाजियाबाद के विभिन्न थानो में चोरी, धोखाधड़ी, आर्म्स एक्ट आदि के कई अभियोग पंजीकृत है।

इस संबंध में थाना इन्दिरापुरम् पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–कामिल उर्फ आमिर निवासी शाहमीर गेट थाना कोतवाली मेरठ।

2–मो0 कल्लू उर्फ मोवीन निवासी पांचली बागपत रोड़ मेरठ,।

3–काला उर्फ आरिफ निवासी मं0नं0–1254/5 गली नं0–11 नालापार थाना लिसाड़ी गेट ,मेरठ।

4– नसीबो उर्फ नसीबुद्दीन निवासी नौरंगाबाद, अब्दुल्लापुर के पास थाना भावनपुर जिला मेरठ।

बरामदगी

1–लगभग 75 लाख रूपये कीमत के चोरी की 02 फॉरचूनर व 01 स्विफ्ट कार

2–02 अवैध तमंचा 315 बोर, 04 जीवित कारतूस,

3–04 मोबाइल फोन आदि ।

जनपद सहारनपुर/थाना गंगोह

- **पुलिस कार्यवाही में 05 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार,**
- **चोरी के 16 दो पहिया वाहन, 11 फर्जी नम्बर प्लेट,**
- **04 अवैध तमंचा 315बोर, 07 जीवित, 01 खोखा कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 17.10.2020 की रात्रि थाना गंगोह पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चौसाना रोड़ बन्द पड़े होटल से पुलिस कार्यवाही के दौरान घेराबन्दी कर 05 शातिर अभियुक्तो 1–शंकर 2–विजय उर्फ खूंटा, 3–अजय 4–मंदीप 5–ताहिर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के 16 दो पहिया वाहन, 11 फर्जी नम्बर प्लेट, 04 अवैध तमंचा 315बोर, 07 जीवित, 01 खोखा कारतूस आदि बरामद आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी है,जिसमें अभियुक्त शंकर, विजय उर्फ खूंटा, अजय, मंदीप, ताहिर के विरूद्ध जनपद शामली व सहारनपुर के विभिन्न थानों में चोरी, धोखाधड़ी, हत्या का प्रयास, गैंगेस्टर एक्ट , आर्म्स एक्ट, आबकारी एक्ट आदि के आधा दर्जन से अधिक अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा वाहनों की चोरी कर ग्राहक मिलने पर बेच देते है।

इस संबंध में थाना गंगोह पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–1–शंकर निवासी डेरा भागीरथ चौकी अहमदगढ़ थाना झिंझाना जनपद शामली। 2–विजय उर्फ खूंटा निवासी डेरा भागीरथ चौकी अहमदगढ़ थाना झिंझाना जनपद शामली।

3–अजय निवासी डेरा भागीरथ चौकी अहमदगढ़ थाना झिंझाना जनपद शामली।

4–मंदीप निवासी शीतलपुर थाना गंगोह जनपद सहारनपुर ।

5–ताहिर निवासी भडभुज्जे वाली गली, मोहल्ला कुरेशियान कस्बा व थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।

बरामदगी

1–चोरी के 16 दो पहिया वाहन।

2–11 फर्जी नम्बर प्लेट।

3–04 अवैध तमंचा 315 बोर, 07 जीवित, 01 खोखा कारतूस आदि।

जनपद कानपुर नगर/थाना नवाबगंज

- **20 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार,**

दिनांक 17.10.2020 की रात्रि थाना नवाबगंज पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर रावतपुर बस अड्डा गेट से पुरस्कार घोषित अभियुक्त रामदास को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी हैं, जिसके विरूद्ध जनपद कानपुर नगर के विभिन्न थानों पर हत्या, हत्या प्रयास, अपहरण, धोखाधड़ी, गैंगेस्टर एक्ट, गुण्डा एक्ट एन0डी0पी0एस0एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 27 अभियोग पंजीकृत है तथा अभियुक्त थाना कोहना पर पंजीकृत मु0अ0सं0–316/2020 धारा 420/467/468/471/447 भादवि के अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 20 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित था।

इस संबंध में थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

रामदास निवासी रामपुर गंगा बैराज, थाना नवाबगंज जनपद कानपुरनगर।

जनपद बागपत/थाना बालैनी

- **25 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार,**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस बरामद**

दिनांक 17.10.2020 की रात्रि थाना बालैनी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम डौलचा से पुरस्कार घोषित अभियुक्त टोनू उर्फ सोनू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी हैं, जिसके विरूद्ध जनपद बागपत के थाना बालैनी पर हत्या प्रयास, आबकारी एक्ट आदि के 10 अभियोग पंजीकृत है तथा अभियुक्त थाना बालैनी पर पंजीकृत मु0अ0सं0–103/2020 धारा 307 भादवि के अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित था।

इस संबंध में थाना बालैनी पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

टोनू उर्फ सोनू निवासी डौलचा थाना बालैनी जनपद बागपत।

बरामदगी

01तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस।

जनपद बुलन्दशहर/थाना स्याना

- **07 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 05 लाख रूपये कीमत के लूट/चोरी के सोनी चांदी के जेवरात,**
- **48 हजार रूपये नगद,**
- **04 अवैध तमंचा 315 बोर, 07 जीवित कारतूस बरामद**

दिनांक 17/18.10.2020 की रात्रि थाना स्याना पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर स्याना क्षेत्र के पशुपैठ व ग्राम किसौला के पास से 07 शातिर अभियुक्तो 1–ताहिर उर्फ नवी आलम उर्फ सादाब, 2–नदीम उर्फ सोल्जर 3–नूर आलम उर्फ भूरा, 4–फिरोज उर्फ सपोला, 5–अलफिजा 6–गुल्फसा 7–सलमा उर्फ अन्जुम उर्फ मर्जरीना को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 05 लाख रूपये कीमत के लूट/चोरी के सोने चांदी के जेवरात, 48 हजार रूपये नगद, 04 अवैध तमंचा 315 बोर, 07 जीवित कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त ताहिर उर्फ नवी आलम उर्फ सादाब, नदीम उर्फ सोल्जर, नूरआलम उर्फ भूरा,

फिरोज उर्फ सपोला के विरूद्ध जनपद बुलन्दशहर व अमरोहा के विभिन्न थानों में डकैती, लूट, चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के लगभग आधा दर्जन से अधिक अभियोग पंजीकृत है तथा अभियुक्तों के कब्जा/निशादेही से बरामद माल थाना स्याना पर पंजीकृत मु0अ0सं0—418/20 धारा 395 भादवि, मु0अ0सं0—318/2020 धारा 380 भादवि थाना खानपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0—66/2020 धारा 395 भादवि व मु0अ0सं0—67/2020 धारा 395 भादवि, थाना हसनपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0—403/2020 धारा 392 भादवि, मु0अ0सं0—519/2020 धारा 392 भादवि से सम्बन्धित है।

इस संबंध में थाना स्याना पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—ताहिर उर्फ नवी आलम उर्फ सादाब निवासी रई नगला थाना भोजपुर,मुरादाबाद।
2—नदीम उर्फ सोल्जर निवासी चूहा नगला थाना भगतपुर, मुरादाबाद।
3—नूर आलम उर्फ भूरा निवासी रई नगला थाना भोजपुर,मुरादाबाद।
4—फिरोज उर्फ सपोला निवासी रई नगला थाना भोजपुर,मुरादाबाद।
5—अलफिजा पत्नी आशिकरजा उर्फ अनस उर्फ भीमा निवासी रई नगला थाना भोजपुर, मुरादाबाद।
6—गुल्फसा पत्नी जिकरस हैदर निवासी रई नगला थाना भोजपुर,मुरादाबाद।
7—सलमा उर्फ अन्जुम उर्फ मर्जरीना पत्नी ताहिर उर्फ नवी आलम उर्फ सादाब निवासी रई नगला थाना भोजपुर,मुरादाबाद।

<u>बरामदगी</u>

1—लगभग 05 लाख रूपये कीमत के लूट/चोरी के सोने चांदी के जेवरात (सोने के 01टीका, 2 गले का सेट, 01 मंगल सूत्र, 01 चूड़ी, 12 जोड़ी कुण्डल, 02 जोड़ी झुमकी, 03 चैन , चॉदी के 26 जोड़ी पाजेब, 07 अंगूठी, 12 जोड़ी बिछुआ),
2— 48 हजार रूपये नगद,
3— 04 अवैध तमंचा 315 बोर, 07 जीवित कारतूस।

————